

सं० सं० 14/एम 11-3/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
मेट्रो हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीच्युट,
14, रिंग रोड लाजपत नगर,
नई दिल्ली, 110024 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 28.12.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	गुरु कुमार पिता-राजेन्द्र प्रसाद ग्राम-बनीयापट्टी पो०-मोतिहारी थाना-टाउन जिला-पूर्वी चम्पारण	मस्क्युलर डिस्ट्राफी/ बोन मैरो ट्रांसप्लान्ट	₹ 2,00,000/- (दो लाख)
2	देव कुमार पिता-राजेन्द्र प्रसाद ग्राम-बनीयापट्टी पो०-मोतिहारी थाना-टाउन जिला-पूर्वी चम्पारण	मस्क्युलर डिस्ट्राफी / बोन मैरो ट्रांसप्लान्ट	₹ 2,00,000/- (दो लाख)
			कुल ₹ 4,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 4,00,000/- (चार लाख) का क्रास चेक सं०..... 836324.....
.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

31/11/17

5. पूर्व में विभागीय पत्रांक ज्ञापांक सं०-221(14) दिनांक-18.2.16 द्वारा (1) गुरु कुमार (2) देव कुमार (3) यीशु कुमार को चिकित्सा अनुदान की कुल राशि रू० 6,00,000/- (छः लाख) उक्त संस्थान को विमुक्त किया जा चुका है। उनमें से यीशु कुमार की मृत्यु हो चुकी है। उनका स्वीकृत राशि को मरीज गुरु कुमार एवं देव कुमार की चिकित्सा/ईलाज पर व्यय किया जाय अन्यथा विभाग को अविलम्ब वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह० /

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 02.02.17

पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित

ज्ञापांक 143(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.2.17